रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 1972/चैत्र 29, 1894
No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 1972/CHAITRA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th April 1972

SUBJECT.—*Export of Hand woven Woollen Carpets, Woollen Chain Stitched Rugs and Hand woven woollen Carpets of Persian and Mobarik designs up to 32,000 knots sq. metre.*

No. 7-ETC(PN)/72.—Reference Ministry of Foreign Trade's Export Trade Control Order No. E(C)O, 1968/AM(76) dated the 18th April, 1972 amending the provisions of the aforesaid order.

2. It is notified for the information of the trade that with effect from 1st April, 1972, export of Hand woven woollen carpets and woollen chain stitched rugs, other than those mentioned against item 32(i) in Part 'A' will be licensed freely on shipping bills. Export is allowed only on outright sale basis and subject to floor price of Rs. 50.00 per sq. metre f.o.b.

3. Paragraph 3 of the Min. of Foreign Trade's Public Notice No. 3-ETC(PN)/72 dated 30th March, 1972 should be substituted by the following:—

"It is also notified that export of Hand woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32,000 knots per sq. metre will also be licensed freely on shipping bills. Export is allowed only on outright sale basis and subject to floor price of Rs. 60.00 per sq. metre f.o.b.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

विषय :—हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों, ऊनी लड़ियों से सिले हुए गलीचे तथा फारसी और मुबारिक डिजाइन के हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों का 32,000 गांठ वर्ग मीटर तक निर्यात।

संख्या 7—ई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—संदर्भ—विदेश व्यापार मंत्रालय के निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या : ई(सी) ओ, 1968/एएम (76), दिनांक 18 अप्रैल, 1972—उपर्युक्त आदेश में संशोधन करते हुए।

2. व्यापारियों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भाग 'ए' में मद 32(i) के सामने उल्लिखित से भिन्न हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों और ऊनी लड़ियोंसे सिले हुए गलीचों के निर्यात के लिए 1 अप्रैल, 1972 से पोतपरिवहन बिलों पर अबाध रूप से अनुमति दी जाएगी। केवल तत्क्षण बिक्री के आधार पर और 50/—रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निःशुल्क न्यूनतम मूल्य के अधीन निर्यात की स्वीकृति है।

3. विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 3—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 30—मार्च—72 की कंडिका 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"यह भी अधिसूचित किया जाता है कि फारस तथा मुबारिक डिजाइनों के हाथ से बुने हुए कालीनों के 32,000 गांठ प्रति वर्ग मीटर तक को निर्यात भी पोतपरिवहन बिलों पर अबाध रूप से अनुमेय होगा। केवल तत्क्षण बिक्री के आधार पर और 50—/रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निःशुल्क न्यूनतम मूल्य के अधीन निर्यात की स्वीकृति है।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात—निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972